न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:–	बीना महावर, आर.ए.एस.
		अति० जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:–	नया नंबर 96 / 2023
रजु दिनांकः	:–	27.09.2023

तनवीर खां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थी

निर्णय – अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा दिनांक 14.08.2020 जो नामांतरण संख्या 697 ग्राम जगनेर तुर्कान पर पारित किया गया

उपस्थितः–
अपीलान्ट अधिवक्ता श्री सतीश कुमार पारीक एडवोकेट

दिनांकः 21/02/2024

निर्णय

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील रामगढ पचवारा के आराजी खसरा नंबर 01, 02, 26, 61, 62, 57 के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 13.07.2018 की पालना में नामांतकरण संख्या 697 दिनांक 20.07.2018 को तस्दीक किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में माननीय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा दिनांक 28.07.2020 को निर्णय किया गया जिसका नोट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना धारा 144 सीपीसी की इजराय हुए दिनांक 14.08.2020 को नामांतकरण पर अंकित कर दिया गया जबकि स्वयं तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी से अपील की मियाद का समय दिये जाने एवं धारा 144 सीपीसी की इजराय आवश्यक होने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया परंतु बिना मार्गदर्शन प्राप्त हुए ही तहसीलदार द्वारा 14.08.2020 को अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने की गरज से अलोच्य आदेश पारित कर दिया। जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी [illegible] अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्थगन का नोट अंकित था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते [illegible] न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा नामांतकरण संख्या 697 [illegible] पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा [illegible] शपथ पत्र दफा 05 अंतर्गत मियाद अधिनियम पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.06 10:24:46 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। बाद [illegible] सूचना पैराकार सरकार अनुपस्थित रहे।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

अपील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए नामांतरण संख्या 697 दिनांक 14.08.2020 में पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। नामांतकरण संख्या 697 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त नामांतकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 13.07.2018 उनवानी प्रकरण तनवीर खां बनाम अल्लानूर खां आदि मुकदमा नंबर 116/2013 की पालना में दर्ज किया गया है। उक्त निर्णय अनुसार आराजी खसरा नंबर 01, 02, 26, 61, 62, 57 अपीलांट के नाम दर्ज हुए है। पत्रावली में संलग्न छायाप्रति निर्णय दिनांक 28.07.2020 मा0 न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा उनवानी प्रकरण बाबू खां वगै0 बनाम तनवीर खां में उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 13.07.2018 को अपीलांट के हितो की सीमा तक निरस्त किया गया है। उक्त नामांतरण संख्या 697 के पृष्ठ भाग पर निम्नानुसार टिप्पणी अंकित है ''माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 28.07.2020 उनवानी प्रकरण 34/2019 (117/2018) बाबू खां वगै0 बनाम तनवीर खां वगै0 एवं अपील सं. 22/2020 (118/2018) उनवानी राधेश्याम वगै0 बनाम तनवीर खां वगै0 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2018 को अपीलान्ट के हितो की सीमा तक निरस्त की गई है'' पत्रावली में संलग्न पत्र दिनांक 05.08.2020 की छायाप्रति से तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को मार्गदर्शन बाबत लिखा जाना स्पष्ट होता है।

हम विद्वान वकील अपीलांट के इस कथन से तो सहमत है कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय की पालना के लिए धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश की अपील जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर द्वारा सुने जाने का प्रावधान है। नामांतरण संख्या 697 के पृष्ठ भाग पर किये गये अंकन की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि उक्त अंकन नोट की श्रेणी में आता है ना कि निर्णय/आदेश की श्रेणी में। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खसरा नंबर 2 पर अति0 जिला कलक्टर, दौसा के आदेश दिनांक 03.08.2018 उनवान राधेश्याम बनाम तनवीर नामा0 सं. 697 से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अंकन है। पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर अपील संख्या 273/2020 की आदेशिका दिनांक 25.02.2021 की प्रति भी संलग्न है।

उक्त समस्त दस्तावेजो के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलांट तनवीर खां एवं अल्लानूर वगै0 के मध्य नामांतरण संख्या 697 में अंकित खसरा नम्बरान को लेकर विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण चले है। वकील अपीलांट के द्वारा अपनी बहस में अति0 जिला कलक्टर दौसा के स्टे के अंकन के बावजूद तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा नोट अंकित करने का कथन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.06 10:24:46 IST
Reason: SelfAttested

नकल जमाबंदी से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 2 पर अति0 जिला कलक्टर, दौसा के आदेश दिनांक 03.08.2018 में नामा0 संख्या 697 से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का अंकन है परंतु आलोच्य आदेश पारित किए जाने की दिनांक को न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा के स्थगन की स्थिति क्या थी, यह पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट नही होती है।

वकील अधिवक्ता ने आपत्ति उठाई है कि मा0 न्याया0 राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 28.07.2020 को निर्णय एक पक्षकार खुदा बक्श की मुत्यु के बाद पारित किया गया

है। उक्त निर्णय की इस आधार पर अपीलांट द्वारा कही चुनौती दिया जाना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट नही होता जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बदल नही दिया जावे तब तक अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रभावी होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा में विचाराधीन प्रकरण, माननीय राजस्व मण्डल में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 28.07.2020 की अपील की वर्तमान में क्या स्थिति है आदि तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। साथ ही इस प्रकरण में अल्लानूर वगै0 जिनके हित इस अपील को स्वीकार करने से प्रभावित होते है, उन्हे अपील में पक्षकार नही बनाया गया है जबकि वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी पक्षकार के विरुद्ध निर्णय पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है।

इस प्रकार तहसीलदार द्वारा नामांतकरण संख्या 697 के पृष्ठ भाग पर अंकित नोट दिनांक 14.08.2020 के मूल आदेश की श्रेणी में नही आने, अपील से हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाये जाने एवं न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की अद्यतन जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही करने के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित पाते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/02/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

बीना महावर (आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, लालसोट

अति. जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.06 10:24:46 IST
Reason: SelfAttested